

हुकम

हुकम को कायम रखने के लिए जारी किया गया है

को इस हुकम की तारीख में जारी हुए

एड. अमलेश पारीवाल द्वारा प्रार्थना पत्र/वाद अन्तर्गत घारा 136 अधिनियम दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को तलब करने हेतु सम्मन जारी किये जाकर जवाब वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 15-2-18 को पत्रावली पेश हों।

उपरोक्त तारीखी छोड़ना पड़ेगी

15/2/18

पत्रावली पेश हुई वकील प्राप्ति उपस्थित विपक्षी की तामिल प्राप्त नहीं पत्रावली अहमदाबाद तामिल दिनांक 7/3/18 को पेश है।

28.5.18

पत्रावली सम्भव लोक कसाल न्यायालय को दायरे 2018 केस - कारकटा पर पेश हुई जानकारी का विपक्षीगण किया गया रिपोर्ट पत्रावली एवं नजदीक से लिखी गई जानकारी का नाम - सहायक से अलगाव रूप किया जाने चाहिए हुकम के जारी हो और इ-डाल सहायक रहेगी। पत्रावली केवल उचित कसाल नाम से एक हो।

25/07/2018

विषय- राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्ती के संबंध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम जामरुडी की जमाबन्दी
संवत् 2070-71 खाता संख्या 334 में-

श्री जामरुद, जामरुद, गोपाल लाल, शिवलाल पितृ नामाला
श्री शंकरादि वैश्यानालाल कुल्मी हैं। इनके प्रजाप
श्री श्री जामरुद, जामरुद, गोपाल लाल, शिवलाल
श्री शंकरादि वैश्यानालाल कुल्मी
इस कने का मत कोश प्रदान है।

अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

प्रार्थी

दिनांक- 28/5/18

श्री जामरुद

उपरोक्त नामक सागरमने के सामग्राह्य विभागाध्यक्ष उज्ज्वल
शर्मा के पास रिपोर्ट प्राप्त है। सामग्राह्य के नाम पर यह विभागाध्यक्ष
उज्ज्वल शर्मा

Signature
T.L.R.
28/5/18

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

रिपोर्ट (फाइल नं. 11) मजलूम
मुहिबुल्लाह की मजलूम नं.
जारी है। 28.5.18

आदेश

प्राप्त हुए रिपोर्ट नं. 136 के संबंध में रिपोर्ट को तहसील
द्वारा जांच कर आदेशित किया जा रहा है। रिपोर्ट
के नाम सागरमने के सामग्राह्य है। रिपोर्ट को तहसील
द्वारा प्रेषित होगा। आदेश उपरोक्त है।

Signature
उपखण्ड अधिकारी

प्रार्थी के "खाता दुस्ती" प्रमाण पत्र एवं सटवरी 1110 व मुक्ति
1110 की रिपोर्ट तथा तहसीलदार / नायब तहसीलदार छोटीसादडी की अनुमति के
 आधार पर राजस्व नं- राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ज्ञान 1110
 तहसील छोटीसादडी व जिला प्रतापगढ़ की जनबन्दी संवत् 2070-73 में राजस्व
 संख्या 1110 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर
 राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	नाम	खाता संख्या	सेटलमेंट से पूर्व प्रविष्टि (शुद्ध प्रविष्टि)	सेटलमेंट के बाद की प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	शुद्ध प्रविष्टि जो सेटलमेंट में दर्ज की जानी है।
1	साजग	1110	—	"साजग" दर्ज है।	साजग दर्ज किया जावे और इसका शब्दांतर हो।

वरिष्ठ अधिवक्ता

सामाजिक कार्यकर्ता

(दिनेश कुमार मण्डोवरा)
 उपखण्ड अधिकारी, छोटीसादडी

क्रमांक:- 5/18

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार, छोटीसादडीको भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्री साजग को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

(दिनेश कुमार मण्डोवरा)
 उपखण्ड अधिकारी छोटीसादडी